(103)

(29)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक — 7 MAY 2010

परिपत्र

विषय :— भू उपयोग परिवर्तन की विस्तृत प्रक्रिया व मानदण्ड — स्पष्टीकरण बाबत।

राज्य सरकार द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16.04.2010 के क्रम में प्राधिकरण/स्थानिय निकायों द्वारा परिपत्र की क्रियान्विति के संबंध में कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहे गये है, तद्अनुसार बिन्दु सं. 3.2 (ii), 4 व 4.4 को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :—

1. बिन्दु संख्या 3.2 (ii) शैक्षणिक संस्थाओं एवं अस्पताल हेतु :— यदि किसी भी भूमि/भूखण्ड का भू—उपयोग परिवर्तन शैक्षणिक संस्था अथवा अस्पताल हेतु चाहा गया है तो 10000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर भू—उपयोग परिवर्तन संबंधित निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण के स्तर पर ही किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में 7 दिवस में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित की जावेगी एवं प्रकरण पर अंतिम निर्णय 30 दिन में करना आवश्यक होगा।

इस तरह का भू—उपयोग परिवर्तन मास्टर प्लान/ड्राफ्ट मास्टर प्लान के परिधि नियंत्रण क्षेत्र/रूरल बैल्ट में स्थित भूमि/भूखण्ड पर भी संबंधित निकाय/ नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा सकेगा। 10000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक के प्रकरण राज्य स्तरीय समिति को निर्णयार्थ प्रेषित किये जायगें।

बिन्दु संख्या 4 में उल्लेखित क्षेत्र जिनमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना भू—उपयोग परिवर्तन निषेध किये गये है, इस तरह के प्रकरण सामान्य तौर पर राज्य सरकार को अनुमति हेतु प्रेषित नही किये जायेंगें। ऐसे प्रकरण सिर्फ उन्हीं मामलों में जहां व्यापक जनहित को देखते हुये केवल ऐसी आधारभूत परियोजनाऐं जिनसे राज्य में निवेश की संभावना हो यथा ऊर्जा संयंत्र, दूरसंचार, परिवहन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, जलापूर्ति, तकनीकी शिक्षण संस्थान चिकित्सा एवं समरूप

(261)

शिक्षण संस्थान, अपशिष्ठ निष्पादन परियोजनाएं पर्यटन इकाईयां (होटल सहित) बड़ी आवासीय परियोजनाऐं या राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / न्यास व अन्य राजकीय विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आवश्यक हो तो इस तरह के प्रकरण स्थानीय निकाय में प्राप्त होने पर संबंधित निकाय अपने स्तर पर इनके औचित्य की विस्तृत जांच कर स्पष्ट अनुशंषा के साथ राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने होंगे।

उक्त परिपत्र के बिन्दु संख्या 4.4 के सन्दर्भ में जयपुर के मास्टर प्लान, 2011 में परिधि नियंत्रण क्षेत्र निर्धारित है, लेकिन ड्राफ्ट मास्टर प्लान में परिधि नियंत्रण क्षेत्र अलग से नही दर्शाया गया उसमें परिधि नियंत्रण क्षेत्र से तात्पर्य ड्राफ्ट मास्टर प्लान में दिखाये गये "ग्रामीण क्षेत्र" (Rural Belt) से है।

(गुरदयाल सिंह संधू)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समस्त स्थानीय निकायों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिये।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, नगर आयोजना एवं सदस्य सचिव, राज्यस्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त.........................।
11. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव-प्रथम